



क्रमांक 405 / बै.प्र. / एपीडीएमबी / 2025

बिलासपुर, दिनांक : 25-03-2025

कार्यालयीय ज्ञाप

इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 338 / बै.प्र. / APDMB / 2023 बिलासपुर दिनांक 24.01.2025 की निरंतरता में, केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 48(2) (संशोधित) के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय की अकादमिक, योजना, विकास और निगरानी बोर्ड में निम्नानुसार सदस्यों का नामांकन किया जाता है :-

1. 48(2)(6) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कार्यपरिषद् के दो सदस्य

1. प्रो० एम.एन. त्रिपाठी, आचार्य, भौतिकी विभाग
के स्थान पर
डॉ० सुभाष बनर्जी, सह-आचार्य, रसायनशास्त्र विभाग

2. 48(2)(7) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट वित्त समिति का एक सदस्य

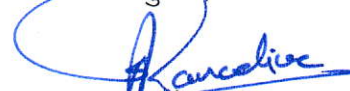
1. प्रो० सी.एस. वज्रलवार, आचार्य, शिक्षा विभाग
के स्थान पर
प्रो० रमा शंकर दूबे, कुलपति, गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर

3. 48(2)(8) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट भवन समिति का एक सदस्य

1. प्रो० बी.डी. मिश्रा, आचार्य, प्रबंध अध्ययन विभाग
के स्थान पर
प्रो० प्रवीण कुमार मिश्रा, आचार्य, इतिहास विभाग

इस श्रेणी के अंतर्गत उपरोक्त सदस्य का कार्यकाल पदेन पद अथवा अकादमिक, योजना, विकास और निगरानी बोर्ड के कार्यकाल जो भी पहले हो के साथ समाप्त होगा।

आदेशानुसार,


कुलसचिव (कार्यवाहक)

बिलासपुर, दिनांक : 25-03-2025

पृ० क्रमांक 406 / बै.प्र. / एपीडीएमबी / 2025

प्रतिलिपि :-

01. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर कुलपति महोदय/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
02. अकादमिक, योजना, विकास और निगरानी बोर्ड के समस्त सम्माननीय सदस्यों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. संबंधितों को सूचनार्थ प्रेषित।
04. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. कार्यालय प्रति।


कुलसचिव (कार्यवाहक)

 कुलसचिव (कार्यवाहक)